

315

2024/3155

नावां डीडवा कुचारा  
 जमाबंदी में प्रविष्टि का विवरण  
 (अर्थात् पंजीयन को प्रत्यक्षवादी के)

नावां	डीडवा कुचारा	जमाबंदी में प्रविष्टि का विवरण
चौसला	गोपीराम पुत्र कल्याण	गोपालराम पुत्र कल्याणमल-जाट
चौसला	जाति जाट	जाति जाट
संख्या	- 36	
संख्या	583,599,	
संख्या	590	
संख्या	4-25	

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) --

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर गजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्राथी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:-

*[Signature]*  
 हस्ताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व भू-अनि की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशंसा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरान्त) -  
 महोदयों को डाय-सत्री जमाबंदी तथा पहचान डस्तावेजों में प्राथी का नाम गोपालराम पुत्र कल्याणमल दर्ज है। अतः हल्का सं. 36 में भी गोपीराम पुत्र कल्याण उ ख्यान मल गोपालराम पुत्र कल्याणमल दर्ज किया जाना उचित है।

भू-अ निरीक्षक

*[Signature]*

हस्ताक्षर पटवारी

*[Signature]*

तहसीलदार की टिप्पणी :-

हस्ताक्षर तहसीलदार

27.12.2024  
*[Signature]*

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नावां

जिला डीडवा कुचारा

क्रमांक/संख्या/धारा 136/2024/315

दिनांक- 27/12/24

प्राथी गोपालराम निवासी चौसला

के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रार्वण्ड अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार नावां राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अर्थो-हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

क्रमांक/संख्या/धारा 136/2021/315  
 प्रतिनिधि:- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. तहसीलदार नावां को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।
2. हल्का पटवारी चौसला को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्राथी / आवेदक गोपालराम को सूचना है।

गोपालराम

उपखण्ड अधिकारी  
 नावां  
 दिनांक- 27/12/24

*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नावां